

सं. ले प /हिन्दी कक्ष/वार्षिक कार्यक्रम/2025-26

दिनांक: 30.04.2025

परिपत्र सं. / CIRCULAR NO. 12

विषय: सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रगामी प्रयोग- वर्ष 2025-26 - वार्षिक कार्यक्रम
Sub: Progressive use of Hindi for Official Purposes-Annual Programme for 2025-26

विभाग में राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का सही अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वर्ष 2025-26 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किए जाने हैं। वार्षिक कार्यक्रम का सारांश सूचना एवं कार्यान्वयन के लिए संलग्न किया जाता है।

शाखा अधिकारीगण से निवेदन है कि वे व्यक्तिगत ध्यान यह सुनिश्चित करने के लिए दे दें कि अपने अनुभागों द्वारा इन आदेशों का सही रूप में पालन किया जाता है तथा उसमें उल्लिखित लक्ष्य पाने में हर संभव प्रयास किया जाता है। ग्रुप अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके स्कन्ध के अनुभागों द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य उपलब्ध किए जाते हैं।

For the effective implementation of the Official Language Policy of the Department, all possible efforts are to be made to ensure strict compliance of the Official Language Act and Rules made there under and also to achieve the targets prescribed in the Annual Programme for the year 2025-26. Gist of the Annual Programme is enclosed for information and implementation.

Branch officers are directed to devote personal attention to ensure that the instructions are strictly adhered to by the sections under their charge and that every possible effort is taken to achieve the targets mentioned there in. Group Officers are requested to ensure that the targets prescribed in the Annual Programme are achieved by sections in their wing.



उप महालेखाकार / प्रशासन
Deputy Accountant General / Admn

प्रतिलिपि / Copy to:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. सभी ग्रुप अधिकारीगण / All Group officers | 4. शाखा कार्यालय / Br. Offices |
| 2. शाखा अधिकारीगण / All Branch Officers | 5. आई टी एस कक्ष / ITS Cell |
| 3. सभी अनुभाग / All sections | 6. सूचना पट्ट / Notice Board |

वार्षिक कार्यक्रम 2025-2026		
मंत्रालयों/विभागों और उनके संबंध /अधीनस्थ कार्यालयों एवं केंद्रीय सरकार के निगमों, उपक्रमों, बाँकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु 2025-2026 के लिए निर्धारित लक्ष्य		
क्रम सं.	कार्य विवरण	लक्ष्य
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	"ग" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 60% "ग" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 60% "ग" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 60% "ग" क्षेत्र से "क" व "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन / की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपिक)	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कम्प्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%
13.	(i) मंत्रालयों/ विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/ उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें	
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठक

	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोडप्रक्रिया साहित्य का हिंदी ,फॉर्म ,मैनुअल , अनुवाद	100%
16.	मंत्रालयों/उपक्रमों के ऐसे /बैंकों/कार्यालयों/विभागों/ अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	25%

ANNUAL PROGRAMME 2025-2026

TARGETS FOR 2025-26 FOR THE IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY IN MINISTRIES/ DEPARTMENTS & THEIR ATTACHED/SUB-ORDINATE OFFICES & CORPORATIONS / UNDERTAKINGS / BANKS ETC.OF CENTRAL GOVERNMENT.

Sl.No	Details of Works	Targets
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mails)	From Region 'C' to 'A' 60% From Region 'C' to 'B' 60% From Region 'C' to 'C' 60% From Region 'C' to State offices/ Individuals in States/UTs of 'A' and 'B' Regions 60%
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%
3.	Noting in Hindi	35%
4.	Training programmes through Hindi medium	35%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers	45%
6.	Dictation in Hindi/Direct Typing on key-board (self and by Assistant)	35%
7.	Hindi Training (Language, Typing/stenography)	100%
8.	Preparation of Bilingual Training material	100%
9.	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital material i.e., Hindi e-books, CD/DVD/Pen Drive including amount incurred on translation in Hindi from English and regional languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.	50%
10.	Purchase of all electronic equipment including computers having bilingual i.e. Hindi and English working facility.	100%
11.	website	100%
12.	Citizen Charter and display of Public interface information board bilingual	100%
13.	(1) Inspection by Ministries/ Departments/Offices of their offices located outside their Headquarters by the officers DS/Dir./JS of DOL (% of offices)	30% (minimum)
	(2) Inspection of sections at Headquarters	30% (minimum)
	(3) Joint inspections by the officers concerned & those of the Departments of Official Language of Foreign based Undertakings/Offices etc. owned or controlled by the Central Government.	At least one inspections in a year
14.	Meetings regarding Official Language	
	(A) Hindi Salahkar Samiti	02 meetings in a year
	(B) Town Official Language Implementation Committee	02 meetings in a year (One meeting in every six months)

	(C) Official Language Implementation Committee	04 meetings in a year (One meeting in every quarter)
15.	Translation of Codes, Manuals, forms, Procedural literature	100%
16.	Sections of the Ministries/Departments where entire work to be done in Hindi	25%